बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग।

आदेश

विभागीय आदेश ज्ञापांक–5308 दिनांक–28.10.2013 द्वारा श्री कमलदेव सिंह को परिधापक के पद पर नियुक्ति करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक–5487 दिनांक–06.11.2013 द्वारा मुक्त कारागार, बक्सर में योगदान करने का निदेश दिया गया था। विभागीय आदेश ज्ञापांक–5308 दिनांक–28.10.2013 के कंडिका 3 में अंकित है कि ''अभ्यर्थियों को तत्काल पूर्णतः औपबंधिक रूप से छः माह के लिए इस शर्त के साथ नियुक्त किया जाता है कि यदि विशेष शाखा या पुलिस अधीक्षक से उनके संबंध में तथा उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की सम्पुष्टि के क्रम में कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है अथवा कोई गड़बड़ी पायी जायेगी तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।''

2. श्री कमलदेव सिंह द्वारा समर्पित परिधापक के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का संबंधित संस्थान से जाँच/सत्यापन के क्रम में निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना–04 के पत्रांक–554 दिनांक–25.07.2014 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री कमलदेव सिंह का प्रमाण पत्र लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना–04 द्वारा निर्गत नहीं है साथ ही यह भी सूचित किया गया कि लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना–04 में चिकित्सा परिधापक प्रशिक्षण नहीं दी जाती है।

3. विभागीय पत्रांक–1422 दिनांक–04.03.2015 द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के संबंध में श्री सिंह से स्पष्टीकरण पूछा गया कि आपके द्वारा समर्पित फर्जी प्रमाण पत्र के कारण आपके नियुक्ति को रद्द करते हुए क्यों नहीं आपके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाय। इसकी प्रति अधीक्षक, मुक्त कारागार, बक्सर को भी दी गई। श्री सिंह द्वारा इस संबंध में अपना उत्तर समर्पित नहीं किया गया। साथ ही अधीक्षक, मुक्त कारागार, बक्सर के पत्रांक–84 दिनांक–14.03.2015 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री कमलदेव सिंह नामक परिधापक द्वारा इस कारा में योगदान नहीं किया गया है।

4. अतः श्री कमलदेव सिंह द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पत्र प्राप्त किये जाने, विभागीय स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं दिये जाने तथा पदस्थापन कारा में योगदान नहीं करने की स्थिति में विभागीय आदेश ज्ञापांक–5308 दिनांक–28.10.2013 की कंडिका 3 में निहित शर्त्तों के आलोक में श्री सिंह के परिधापक के पद पर की गई नियुक्ति को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

5. अधीक्षक, मुक्त कारागार, बक्सर को निदेश है कि श्री कमलदेव सिंह के विरूद्ध स्थानीय थाना में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पत्र प्राप्त किये जाने के संबंध में मामला दर्ज कराते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

ह0/–

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

D:\DEEPAK KUMAR\2015\MISHRAL PARIDHAPAK\Kamaldeo Singh Paridhapak.doc

ज्ञापांक– कारा / स्था0 (अरा0) 01–07 / 2015 ....दिनांक–..................................
प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, बक्सर / पुलिस अधीक्षक, बक्सर / अधीक्षक, मुक्त कारागार, बक्सर / श्री कमलदेव सिंह, पिता–सरभजीत सिंह, भारत कस्बा, पो0–धारोपुर, थाना–काराकाट (गोड़ारी), जिला–रोहतास–802212 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– कारा / स्था0 (अरा0) 01–07 / 2015 ....दिनांक–..................................
प्रतिलिपिः– जिला कोषागार पदाधिकारी, बक्सर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– कारा / स्था0 (अरा0) 01–07 / 2015 5036 दिनांक– 26-8-15.
प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ,
बिहार, पटना।